कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवरिया

पत्रांक--एफ0एस0 / निरीक्षण(पेट्रोल पम्प) / 2020 दिनांक:जनवरी, 25, 2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट
जनपद--देवरिया।

विषय--हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर के पत्रांक आरयू / एमपीएम / 333 दिनांक:13.10.2020 द्वारा खसरा संख्या--908, ग्राम कोन्हवलिया, परगना--शाहजहांपुर तहसील -- देवरिया जिला--देवरिया मे प्रस्तावित डीजल / पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण--पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ-- आपका पत्र संख्या--534 / शस्त्र--2020 दिनांक: 14.01.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ में उक्त प्रस्तावित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 गोरखपुर का रिटेल आउटलेट डीजल / पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है--

1. प्रस्तावित स्थल (35x35) देवरिया से कसया रोड पर स्टोन सं0 14 से 08 मी0 पीछे दायें तरफ ग्राम--कुण्डौली में स्थित है।
2. स्थल उपयुक्तता नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ--2005 के पार्ट--(III) के क्लाज 5--5--4 के मानक के अनुरुप है।
3. प्रस्तावित स्थल पर एचएसडी 35 के0एल0 व एमएस 16 के0एल0 के दो--दो आउटलेट 36 मीटर लम्बाई पर बनाया जाना है।
4. प्रश्नगत आउटलेट के मानचित्र में 11.50 मीटर चौडाई का प्रवेश व 11.50 मीटर का निकास द्वार तथा 12 मी0 लम्बा व 03 चौडा बफर स्ट्रीप बनाया जाना है।
5. प्रश्नगत प्लाट के तीन तरफ 1.20 मीटर ऊँचाई व 0.23 मीटर थिक बाउन्ड्री वाल बनाया जाना प्रस्तावित है।
6. एच0एस0डी0 35 के0एल0 का एक अण्डर ग्राउण्ड टैंक E/PIT साइज (2.66x6.75 मी0) व एम0एस0 16 के0एल0 का एक अण्डर ग्राउण्ड टैंक E/PIT साइज (2.00x5.50 मी0) का निर्माण आई0एस0 10987:1998 के अनुरूप ही किया जाना है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एंव जीव रक्षा प्रणाली:--

1. भारत सरकार के पेट्रोलियम एंव नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा जारी OISD (आयल इण्डस्ट्रीज सेफ्टी डायरेक्टिविस) 205 में रिटेल आउटलेट में दिये गये निर्देशों का पालन अक्षरशः किया जाना आवश्यक होगा।

मानक आई0एस0 15683:2006 के अनुसार निम्न फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किये जाये:--

2. ए0बी0सी0 टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9 / 4 कि0ग्रा0 / सीओटू टाइप 10 अदद

25-1-20

Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

3. डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 कि0ग्रा0 विथ ट्राली 01 अदद
4. फोम ट्राली 75 लीटर 01 अदद
5. फायर बकेट क्षमता 9 लीटर (स्टैण्ड पर टाँगी जाये) 06 अदद
6. धुम्रपान निषेध बोर्ड 01 अदद
7. बालू/रेत का ढेर 6/6/6 घन फिट व बेलचा 04 अदद
8. फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–9454418799 व 9454418800 पुलिस कन्ट्रोल का टेलीफोन नम्बर–100 स्थानीय पुलिस स्टेशन व नजदीकी नर्सिंग होम का टेलीफोन नम्बर बोर्ड पर अंकित किया जाय।
9. स्ट्रेचर रस्सा व फर्स्ट एड बाक्स रखा जाय।
10. एच0एस0डी0 ड्रेनेज करते समय अर्थिंग अवश्य की जाय।
11. एम0एस0/एच0एस0डी0 लाने वाले टैंकर में फ्लेम अरेस्टर लगाया जाय।
12. प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा पेट्रोलियम पदार्थ के गुण व दोष की प्रक्रियाओं की जानकारी रखना अनिवार्य होगा।
13. प्रश्नगत रिटेल आउटलेट भूखण्ड के निकट किसी प्रकार का ऐसा अवरोध नही होगा जिससे कि क्षेत्रीय मार्ग पर वाहनों का आवागमन पेट्रोल फिलिंग स्टेशन क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने वाले एंव बाहर निकलने वाले वाहनों का स्पष्ट रूप से दृष्टिगत न हो सके।
14. एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 एंव एक्सप्लोसिव सब स्टेन्स एक्ट 1908 का पालन किया जाय
15. मनचित्र मे दर्शाये गये नोट बिन्दु 01 से 12 तक के दिशा निर्देशों एंव पेट्रोलियम विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायें।
16. समरसेबल पम्प के साथ 5,000 लीटर का अण्डरग्रउण्ड टैंक बनवाना अनिवार्य होगा।

निम्नाकिंत का बोर्ड डिसपेन्सर के पास लगायें।

क्या करें	क्या न करें
1.मोबाइल बन्द रखें। 2.तेल भरते समय वाहन का इंजन बन्द रखें। 3.सुनिश्चित कर ले कि डिस्पेन्सर के पार अग्निशमन यंत्र रखे हुये हों। 4.तेल रिसाव/आग की स्थिति में डिस्पेन्सर का इमरजेन्सी स्टाप बटन दबायें।	1.वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न करे, जब तक वाहन के टैंक से नोजुल अलग न हो जायें। 2.धुम्रपान न करें। 3.खुली आग का प्रयोग न करें। 4.लारी से तेल टैंक में तेल भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

अतः इडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा डीजल/पेट्रोल पम्प **खसरा संख्या–903, ग्राम कोन्हवलिया, परगना–शाहजहांपुर, तहसील –देवरिया, जिला–देवरिया** पर नये रिटेल आउटलेट का संचालन करने से पूर्व उपरोक्तानुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्राविधान कराकर उनका अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तभी आउटलेट परिसर का प्रयोग सुरक्षित माना जायेगा।

यदि किसी भी क्लाज का उल्लंघन किया जाता है तो यह संस्तुति आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी। उपरोक्त प्रतिबन्धों के अधीन उक्त प्रश्नगत रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

(शंकर शरण राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जनपद–देवरिया।

3/8/21
Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited